प्रतिलिपि आदेश दिनांक 3-7-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्रकरणक्रमांक नि0 01906-तीन/0 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-8-12 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरणक्रमांक 446/अ-6/2007-2008.

हरिकांत उर्फ कल्लू पटेल पिता श्री
रमेश पटेल निवासी सुनवानी कला
तहसील पवई जिला पन्ना म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- छिलिया बाई पिता रूपनारायण पटेल
पत्नि श्री जगन्नाथ पटेल
निवासी सिरसा तहसील पवई जिला पन्ना
2- बृजेश पिता जमना प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम वर्तलायी तहसील ब ब
हटा जिला दमोह म0प्र0 --- अनावेदकगण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
3.7.2014	यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 446/अ-6/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-8-12 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 17-6-14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक को पेशी 19-6-14 को सुना गया। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। तथ्यों पर विचार किया गया। 3/ अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में बताया गया है कि आयुक्त न्यायालय में नियुक्त अभिभाषक ने आवश्यकता पड़ने पर सूचना देने एंव बुला लेने का आश्वासन दिया, किन्तु उन्होंने आदेश की कोई सूचना नहीं दी तब दूसरे अधिवक्ता से संपर्क करने पर प्रकरण के 25-8-12 को निराकरण की जानकारी हुई, तब प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर जानकारी के दिन से समयावधि में निगरानी की गई है जिसे सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जावे। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव आयुक्त, सागर संभाग के आदेश दिनांक 25-8-12 के अवलोकन पर पाया गया कि आदेश के पद 4 अनुसार आवेदक के अभिभाषक ने एंव अनावेदकों के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये हैं एंव आदेश की तिथि की जानकारी उन्हें रही है	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1906 / III / 2014 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

→

1. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – आदेश की जानकारी का दिनांक एंव उसका सही श्रोत सावित नहीं किया गया – विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत – अंतिम आदेश दिनांक अभिभाषक के अभिज्ञान में है– आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया– आदेश की सूचना होना मानी जावेगी – प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।

विचाराधीन निगरानी आदेश दिनांक 25–8–12 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 17–6–14 को अर्थात एक वर्ष नौ माह से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत की गई है।

म0प्र0 भू राज. संहिता,1959–धारा 35 सहपठित 47– अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अवधि वाह्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर